न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व मामला संख्या – 111/2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) डेगाना		तुलछी पत्नी दयाल भांवी के का.मु.– 1. ताराचन्द पुत्र दयाल भांवी 2. वंशीलाल पुत्र दयाल भांवी निवासीगण सथानी तहसील डेगाना

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।
2. अप्रार्थी सख्या–1 व 2 की ओर से वकील श्री बाबुलाल खोजा।

निर्णय

दिनांक : 31-05-2019

प्रार्थी तहसीलदार डेगाना ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी गई। राजपैरोकार श्री कुन्दसिंह आचीणा ने प्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि मौजा सथानी के साविका खसरा नम्बर 216 रकबा 14–15 बीघा भूमि अप्रार्थी ताराचन्द पुत्र दयाल जाति भांवी निवासी सथानी वगैरह की राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1970 के तहत् आंवटन हुई थी। जिसका नामान्तरकरण संख्या 219 ग्राम सथानी भरा जाकर गैर खातेदारी दर्ज की गई थी। अप्रार्थी को उक्त भूमि दिनांक 3.12.78 में आंवटन हुई थी तथा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 14(3) के तहत् प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भू–भाग को व द्वितीय वर्ष में शेष भाग को जोतना आवश्यक था। अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 (3) की शर्तो का पालन नहीं किया जो खसरा गिरदावरी संवत् 2066–2067 तक के नकलों से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी को आंवटित भूमि काबिल काश्त नहीं है तथा मौके पर भूमि पडत के रूप में है, जिस पर काश्त करना मुमकिन नहीं है, जो पटवारी हल्का सथाना कलां की रिपोर्ट से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 (3) की शर्तो का पालन नहीं किया है, जिसके कारण अप्रार्थी को दिये गये गैर खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 14 (3) के तहत् निरस्त योग्य है। अप्रार्थी को दिये गये गैर खातेदारी अधिकार निरस्त फरमानें का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी श्री बाबूलाल खोजा ने अप्रार्थीगण की और से बहस में कथन किया की खेत खसरा नम्बर 216 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि का विधि अनुसार आंवटन होकर आवंटन आदेश की पालना में विधिवत रुप से नामान्तरकरण संख्या 219 भरा जाकर गैर खातेदारी दर्ज हुई है, जो सही व विधिवत है।

दिनांक 3.12.1978 को उक्त भूमि आंवटन हुई थी और आंवटन के बाद आंवटी ने आंवटन अधिनियम के सम्पूर्ण नियमों का पालन करते आये है तथा अप्रार्थीगण व उनकी माता ने धारा 14(3) की शर्तो की पालना की गई थी और आज भी काबिज काश्तकार रहते चले आये है लेकिन तहसीलदार जी ने गलत व बनावटी तथ्यो के आधार पर करीब 35 साल बाद यह आवेदन पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

आवेदन का पैरा संख्या 3 गलत व बनावटी होने से अस्वीकार है क्योंकि उक्त भूमि काश्त होने योग्य भूमि है जो राजस्व रेकर्ड से स्पष्ट है तथा पडंत भूमि नहीं है बल्कि उक्त भूमि पर आंवटन से पूर्व से लेकर आज दिन तक अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की माता काबिज काश्तकार रहते चले आये है बल्कि पटवारी हल्का ने दिनांक 12.9.2011 को जो रिपोर्ट तैयार की गई है व रिपोर्ट बिल्कुल ही मिथ्या व झूठी रिपोर्ट है। जिस रिपोर्ट की अप्रार्थीगण व उनकी माता के बिना जानकारी में एक पक्षीय रिपोर्ट तैयार की गई है जो रिपोर्ट पीठ पीछे तैयार किया गया दस्तावेज है, तथा पीठ पीछे तैयार किये गये दस्तावेज की कानून की निगाह में कोई मान्यता नहीं है। उक्त रिपोर्ट जो पटवारी हल्का ने तैयार की गई है वह बिल्कुल की मिथ्या व झूठी रिपोर्ट है जो पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट दिनांक 5.5.15 से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वतः ही खारिज होने योग्य है।

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के खिलाफ करीब 35 साल बाद आवेदन पत्र पेश किया गया है तथा देरी से पेश करने का कोई कारण नहीं है और न ही देरी माफ करने हेतु कोई आवेदन पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थी ने आवेदन पत्र 35 साल बाद पेश किया गया है जबकि कानूनी रुप से दस साल बाद किसी भी व्यक्ति को खातेदारी हक व अधिकारो को समाप्त नहीं किया जा सकता और न ही खातेदारी अधिकारों से वंचित किया जा सकता। वादग्रस्त भूमि पर शुरु से लेकर आज दिन तक अप्रार्थीगण काबिज काश्तकार रहते चले आये है जो पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट 5.5.2015 से स्पष्ट है तथा पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में रहवासी मकान वगैरह बने हुए है और काबिज काश्तकार भी रहते चले आये है।

उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं होने के संबंध में व भूमि काश्त योग्य नहीं होने के संबंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा गिरदावरी नकल 2066 से 2067 तक पेश की गई है जबकि मात्र एक–दो वर्ष के लिए अगर कोई किसी कारण वश काश्त भी नहीं करता है, तो उसे खातेदारी हक व अधिकारो से वंचित नहीं किया जा सकता। जबकि अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर शुरु से लेकर आज दिन काबिज काश्तकार रहता चला आया है और रहवासी मकान वगैरह भी बने हुए है। 2066 से पूर्व कोई किसी तरह का कब्जा नहीं होने के संबंध में पत्रावली पर रेकर्ड नहीं है। और 9.12.2011 की जो पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट बनायी गई है वह रिपोर्ट एक पक्षीय रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट दिनांक 5.5.2015 की रिपोर्ट से भिन्न रिपोर्ट है। जो रिपोर्ट सन्देहप्रद रिपोर्ट है तथा सन्देहप्रद दस्तावेज के आधार पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी हक अधिकारो से वंचित कानूनी रुप से नहीं किया जा सकने का कथन करते हुए वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र सारहीन होने से व राजस्व रेकर्ड के खिलाफ होने से गयाद बाहर होने से गय हर्जा खर्चा खारिज करने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस की समर्थन में आरआरटी 2014(2) पेज 759 से 762, आरआरटी 2011(1) पेज 715 से 720, आरआरटी 2011(2) पेज 1205 से 1208, आरआरटी 2011(1) पेज 383 से 384, आरआरटी 2009(1) पेज 238 से 241, आरआरटी 2007(2) पेज 1430 से 1433 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में मौजा सथानी के खसरा नम्बर 216 में से अप्रार्थीगण को राजस्व भू–राजस्व अधिनियम 1970 के तहत दिनांक 03.12.78 को भूमि आंवटन किए जाने का तथ्य निर्विवादित है। जहां तक आवंटित भूमि को जोतने का बिन्दू है तो उक्त संबंध में प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह स्पष्ट साबित हो कि उक्त आवंटित भूमि वक्त आवंटन जोता नहीं गया हो। खसरा गिरदावरी सवत् 2039 जंवार, मूंग व 2040 में मोठ, बाजरा की काश्त दर्शाई गई है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को आवंटित भूमि मौके पर पड़त के रूप में होना तथा जिस पर काश्त करना मुमकिन नहीं होना बताया है, परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्तानुसार खसरा गिरदावरी के अनुसार उक्त आवंटित भूमि में काश्त की गई है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का उक्त कथन की आवंटित भूमि पड़त होने से उस पर काश्त करना मुमकिन नहीं है, प्रार्थी का यह कथन सही नहीं है। हस्तगत प्रकरण में आवंटन वर्ष 1978 हुआ है, तथा अप्रार्थी की गैर खातेदारी निरस्त करने का आवेदन प्रार्थी द्वारा वर्ष 2012 में लगभग 35 वर्ष पश्चात पेश किया गया है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2011(1) पेज नं.715–720 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर लक्ष्मीनारायण वगैरह बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 01.04.2011 के बिन्दू संख्या–9 उल्लेखित किया गया है कि *"इस प्रकार 35 वर्ष के पश्चात आवंटन की शर्तों की पालना नहीं किये जाने का प्रश्न उठाया जाना उचित नहीं है। यह कहना क अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कभी कब्जा ही नहीं है, यह स्वीकार योग्य नहीं है"* इस प्रकार अब आवंटन के 35 वर्ष पश्चात मात्र किन्ही तकनीकी कारणों से आवंटन को निरस्त किया जाना न्याय संगत नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र ठोस आधारों पर नहीं होने के आधार पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति चूँकि वादग्रस्त आवंटित भूमि ग्राम सथानी तहसील रियांबड़ी में होने से तहसीलदार रियांबड़ी को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर नागौर

Page 2 of 2

Scanned by CamScanner